



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-27102025-267152
CG-OR-E-27102025-267152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4694]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4694]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2025/KARTIKA 2, 1947

रेल मंत्रालय
पूर्व तट रेलवे (निर्माण)
अधिसूचना

भुवनेश्वर, 23 अक्टूबर 2025

का.आ. 4838(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 'ए') द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचना करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	"खुर्दा रोड विभाग के इच्छापुरम (आईपीएम)- झाडुपुडी(जेपीआई) स्टेशनों के बीच किमी 631/23-25 पर एल.सी.नंबर.333 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण".	ओडिशा

[फा. सं. सीएओ/निर्माण/आरएसपी/बीबीएस/आरओबी संख्या.333/37ए/]

सुधीर कुमार परिदा, मुख्य अभियन्ता / निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS**East Coast Railway (Construction)****NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 23rd October, 2025

S.O. 4838(E).—In exercise of the powers, conferred by **Clause (37A)** of Section-2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project as mentioned in **column (2)** of the table below in the State mentioned in **column (3)** of the Table, with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

TABLE

Sl.No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	“Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of L.C.No.333 at Km 631/23-25 between Ichchapuram (IPM)-Jhadupudi (JPI) stations of Khurda Road Division.”	Odisha

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/2025/ROB No.333/37A/]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer / Construction-III